



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062022-236915
CG-DL-E-30062022-236915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]
No. 461]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/ आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 482(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 294ध के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2022 हैं।
(2) ये 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क में,—

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु जहां केन्द्र, धारा 194ध की उपधारा (6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार धारा 194ध के अधीन ऐसी आस्ति के क्रेता द्वारा कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित कर के विकल्प के रूप में अपने द्वारा स्वाधिकृत आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संव्यवहार के संबंध में कर संदत्त करने के लिए सहमत है, केन्द्र मुख्य आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा मुख्य आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्ररूप संख्या 26थच में ऐसे संव्यवहार का त्रैमासिक विवरण प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा।

स्पष्टीकरण: इन उपनियमों के प्रयोजनों के लिए,--

(i) “केन्द्र” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण करने के लिए उपयोजन करता है या मंच संचालित करता है, जो क्रय और विक्रय व्यापार के सदृश है और उसका उनके उपयोजन या मंच पर निष्पादन करता है।

(ii) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 2 के खंड (47क) में है।”

(ii) उपनियम (4घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4ड) उपनियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्र, प्ररूप संख्या 26थच में त्रैमासिक विवरण तैयार करते समय संदत्त या जमा खाते जिस पर धारा 194ध की उपधारा(6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी, की विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा।”

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप संख्या 26थड के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप संख्या 26थड

..... जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाले त्रमास के लिए केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला धारा 194ध के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संबंध में निक्षेपित कर का त्रैमासिक विवरण

[धारा 194ध, नियम 31क(1) और (4ड)]

1. केन्द्र का नाम :
2. केन्द्र का पता :
3. पेन :
4. वित्तीय वर्ष :
5. संव्यवहारों के ब्यौरे :

(क) नियम 31क के उपनियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में संदत्त कर के ब्यौरे :-

क्र.सं.	क्रेता /दलाल का नाम	क्रेता /दलाल का पता	क्रेता /दलाल का पेन	संव्यवहार की तारीख	क्रेता/दलाल द्वारा क्रय किए गए वीडिए का मूल्य	क्रेता/दलाल द्वारा क्रय किए गए वीडिए की संख्या	कुल प्रतिफल	कुल प्रतिफल का 1%	(संदाय की तारीख) को किए गए कर संदाय में प्रतिबिंबित	चालान के ब्यौरे		
1.										बैंक की शाखा का बीएसआर कोड	संदत्त रकम	चालान की क्र.सं.
2.												
3.												

(ख) संव्यवहार के ब्यौरे जिस पर धारा 194ध की उपधारा (6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी।

क्र.सं.	दलाल का नाम	दलाल का पता	दलाल का पेन	दलाल का टेन	संव्यवहार की तारीख	दलाल द्वारा क्रय किए गए वीडिए का मूल्य	दलाल द्वारा क्रय किए गए वीडिए की संख्या	कुल संदत्त/जमा प्रतिफल
1.								
2.								
3.								

सत्यापन

मैं की क्षमता में तारीख..... को यह सत्यापित करता हूँ की उपरोक्त दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

स्थान.....

व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख.....

नाम और पदाभिधान।”

[अधिसूचना सं. 73/2022/फा. सं. 370142/29/2022-टीपीएल(भाग-1)]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 463(अ) तारीख 21.06.2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया है।